

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
// मंत्रालय //  
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,  
जिला रायपुर- 492002  
[cg.school.edu.dept@gmail.com](mailto:cg.school.edu.dept@gmail.com)

--: आदेश :-

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 14-8-2023  
क्रमांक एफ 12-07/2014/20-दो- विभागीय समसंख्यक निर्देश दिनांक 24.06.2019 की  
कण्डिका-5 में राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों का मानदेय रुपये  
18000/- (रुपये अठारह हजार मात्र) मासिक निर्धारित किया गया है।  
2/- राज्य शासन एतद द्वारा मंत्री परिषद में लिये गये निर्णय अनुसार अतिथि शिक्षकों को  
प्रतिमाह रुपये 2000/- (रु दो हजार मात्र) प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की  
स्वीकृति प्रदान करता है।  
(इस संबंध में वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक F2022-20-001174, दिनांक 10.08.2023 द्वारा सहमति  
प्रदान की गई है।)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(कुसुम कुजूर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 14-8-2023

पू०क्रमांक एफ 12-07/2014/20-दो  
प्रतिलिपि-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर, छ.ग.।
2. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
4. समस्त कलेक्टर, छ.ग.।
5. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय लोक शिक्षण कार्यालय, छ.ग.।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छ.ग.।
7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
8. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

५५